V.V.I

Page-1

लैंगिक दुर्व्यवहार (प्रकृति और प्रकार)

⇒ लैंगिक दुर्व्यवहार से तात्पर्य ऐसे व्यवहारों से है जो लिंग विशेष की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और मन को ठेस पहुंचाता। इसी संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने अहिंसा परमोधर्म का नारा दिया था और इसके अंतर्गत शाब्दिक हिंसा को भी शामिल किया है ठीक इसी प्रकार लैंगिक - दुर्व्यवहार में मानसिक - पीड़ा भी नहीं आवश्यक और शाब्दिक दुर्व्यवहार द्वारा मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार कभी परम्परा और आदेश की एक ऐसी चादर का ओढ़ है जिसके अंतर्गत महिलाएँ दुर्व्यवहार का सम्मान करती है और इस स्थिति से बाहर भी निकलना चाहती है जिन की शान्ति और प्यार पाने वाली स्त्रियों को आदर्श व्यवस्था जाना जा सकता की जाती। और अपने लिए इच्छा से सहन करना होती है इन व्यवहारों का सामना स्त्रियों और अब तो तृतीय लिंग - किन्नरों को भी करना पड़ता है यहाँ तक कि लैंगिक दुर्व्यवहारों को दुर्व्यवहार नहीं मानती है अब तो इसके लिए रोज की बात बन गई है समाज पर आघात

Page 2

महिलाओं के लिए घरों से घर चलने के लिए आम बात होती है

ऐसे तो लैंगिक दुर्व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं—

⇒ शारीरिक एवं हिंसात्मक

⇒ मानसिक

⇒ शाब्दिक एवं भावात्मक

⇒ सामाजिक दुर्व्यवहार

⇒ आर्थिक दुर्व्यवहार

⇒ धार्मिक दुर्व्यवहार

⇒ सांस्कृतिक दुर्व्यवहार

⇒ राजनीतिक दुर्व्यवहार ।

page 3

विशेषकर हमारे समाज में लैंगिक दुर्व्यवहार को सबसे अधिक पाया जाता है वह शाब्दिक तथा आवाजी दुर्व्यवहार।

शाब्दिक तथा आवाजी दुर्व्यवहार शुरू से ही परिवार के पुरुषो, माता-पिता, आस-पड़ोस तथा बाहर वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है कभी-2 तो अपरिचित व्यक्तियो द्वारा विद्यालयों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थलो पर जाती अर्थात मौखिक तथा लिखित रूप से किया जाता है जिससे स्त्रीयो को अपमानो का सामना करना पड़ता है जैसे की आवाजी और शाब्दिक दुर्व्यवहार निम्न तरह के होते है-

→ लिंगीय टीप्पणी करना

→ लड़की होने का उलाहना देना

→ लड़कियो की प्रकृति के विषय मे अपमानजनक बाते करना

→ लड़कियों की कपड़े के पैरनावे, रहन सहन पर आरोप लगाना।

→ धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमो पर लड़कियो की अवहेलना करना

→ अभद्र बाते सुनाना

→ स्त्रियों को आपत्ती दुर्व्यवहार ससुराल में, आफिस में, विद्यालय इत्यादि में करना।

→ किसी की तुलना के समय भी आपत्ती दुर्व्यवहार करना।

→ लड़कियों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग करना।

→ लड़कियों का भरन-पोषण का पुरुषों पर आश्रित होना।

→ महिलाओं की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करना।

→ चारित्रिक टिप्पणी करना।

इस प्रकार महिलाओं के प्रति आपत्ती दुर्व्यवहार भी आज समाज के लिए एक विशेष मुद्दा उभर कर आ रहा है जिसमें डर करना बहुत ही आवश्यक है ताकि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। इन सब कारणों से लड़कियाँ विद्यालय छोड़ देती है, समाज में आना जाना, सार्वजनिक स्थान पर जाने से डरना इत्यादि समस्याएँ रहती है वे डरती है इसके दूर करने के लिए निम्न कारण है -

Page 5

(1) सबसे पहले तो लोगो की समझ को बदलना चाहिए की अगर यही दुर्व्यवहार या आज उनके परिवारजनों के प्रति हो तो कैसा प्रतीत होगा।

(2) अनायास ही इस तरह की व्यवहार करने वाले की counselling होनी चाहिए।

(3) स्त्रियो को इस तरह के व्यवहार का विरोध करना चाहिए।

(4) शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़नों के लिए कानूनी सहायता लेनी चाहिए।

(5) अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो विद्यालय तथा परिवारवालों को बतानी चाहिए ताकी आगे न घटित हो सके।

(6) सार्वजनिक स्थल पर खासकर महिला पुलिस की तैनाती होनी चाहिए।

(7) इस तरह के व्यवहार करने वालों पर समाज, परिवार तथा विद्यालय आदि को कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

(8) शुरू से ही परिवार के स्त्रियों के साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार का विरोध होना चाहिए। यहाँ तक की महिला भी महिला के साथ गाली-गलौज करती है।

Page 6

(7) समाचार में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और internet पर रहे दुर्व्यवहारों का खिलाफत होना चाहिए।

अतः इस प्रकार शारीरिक तथा आपराधिक दुर्व्यवहार किशोर व्यवहार को बढ़ावा देता है या भी उसे समाप्त करने का कोशिश करता है किशोर पर जो मानसिक आघात है उसकी विशेष counselling करवाकर इस सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।